न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/158/2021	2021/389	08.10.2021	02.05.2022

–उनवान–

1. दुलीचन्द पुत्र श्री सेढूराम, जाति धानक निवासी ग्राम लाडपुर तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।
2. विजय पुत्र सेढूराम, जाति धानक निवासी ग्राम लाडपुर तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।
3. अजीतसिंह पुत्र सेढूराम, जाति धानक निवासी ग्राम लाडपुर तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।
4. सीताराम पुत्र सेढूराम, जाति धानक निवासी ग्राम लाडपुर तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।
5. अनील पुत्र सेढूराम, जाति धानक निवासी ग्राम लाडपुर तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।
6. मुस्कान पुत्री मुनेश पत्नी श्री कालूराम पुत्री श्री सेढूराम, जाति धानक निवासी ग्राम लाडपुर तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।
7. अमूल नाबालिग पुत्र मुनेश पत्नी कालूराम पुत्री श्री सेढूराम, जाति धानक निवासी ग्राम लाडपुर तहसील कोटकासिम, जिला अलवर जरिये सरपरस्त मुस्कान बहन
8. सुनीता पुत्री श्री सेढूराम, जाति धानक निवासी ग्राम लाडपुर तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।
9. चांदबाई पत्नी श्री सेढूराम, जाति धानक निवासी ग्राम लाडपुर तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. चितरसिंह पुत्र श्री श्यौराम जाति चमार (हरीजन) निवासी ग्राम चिम्मनपुरा, तहसील झज्जर, जिला रोहतक हरियाणा।
2. सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार कोटकासिम
3. सरकार जरिये जिला कलक्टर, अलवर
4. उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री महेन्द्र सिंह यादव –वकील प्रार्थी

02. श्री जर्नादन शर्मा –वकील अप्रार्थीगण

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान दुलीचन्द बनाम चितरसिंह वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद दुलीचन्द बनाम चितरसिंह वगै0 में पीठासीन अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूची रखकर छोटी–छोटी तारीख पेशी नियत की जा रही है। पीठासीन अधिकारी विधिक प्रकिया एंव प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही नहीं कर रहें है तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा गत पेशी पर ऐलानिया तौर पर कहा गया कि आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से बहस सुनकर निर्णय कर दूगां तुम्हारा प्रकरण में कोई लेना–देना नहीं है। पीठासीन अधिकारी पूर्व में अपने न्याय निर्णय का इजहार कर चुके है। अप्रार्थी संख्या 1 ने पीठासीन अधिकारी से साठ–गांठ कर ली है। अप्रार्थी संख्या 1 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में कई बार आते–जाते देखा गया है। अप्रार्थी संख्या 1 राजनैतिक दबाव बनाकर पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय कराने में बाधा उत्पन्न कर

जिला कलेक्टर, अलवर

रहें है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने बहस व जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा झूठे व मनमाने तथ्य दर्ज किये है। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रकिया एवं प्रावधानो के अनुसार सुनवाई की जा रही है। प्रार्थी द्वारा समस्त तथ्य मात्र वाद कारण पैदा करने की नियत से दर्ज किये गये है। अप्रार्थी व पीठासीन अधिकारी के बीच कोई जान पहचान या साठ–गांठ नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर राजनितिक दबाव नहीं बनाया गया है। प्रार्थीगण ने अधिनस्थ न्यायालय से अपने पक्ष में स्थगन जारी कराया हुआ है। प्रकरण को लम्बा करने की नियत से मुतंकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसका कोई युक्तियुक्त कारण साक्ष्य सहित दर्ज नही किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दुर्भावना पूर्वक पेश किया गया है। विचाराधीन मुकदमा को अधिनस्थ न्यायालय से किसी दीगर न्यायालय में मुतकिल किये जाने से पक्षकारान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने–जाने में काफी परेशानी का सामना करना पडेगा जिसमें काफी पैसा व समय लगेगा। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि वादीगण द्वारा न्यायालय को अंधेरे में रखते हुए एक वाद दुलीचन्द बनाम चितरसिंह पेश किया गया जबकि इस प्रकरण से संबंधित प्रकरण पूर्व में ही सरकार बनाम चितरसिंह अन्तर्गत धारा 175 आर.टी.एक्ट विचाराधीन है जिसमें आगामी प्रकिया की जा रही है। फिर भी श्रीमान् उक्त प्रकरण को किसी भी न्यायालय में मुंतकिल करना चाहे तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र भी पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र मुंतकिल करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम प्रकरण में नियमानुसार शीघ्र सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.05..2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर, अलवर